{2020} 3 एससीसीआर 1106

सतीश कुमार न्यालचंद शाह

बनाम

गुजरात राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं0-353/2020) 02 मार्च, 2020

{न्यायमूर्तिगण-अशोक भूषण एवं एम आर शाह।,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-173 (8)-अग्रेतर विवेचना-निजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा-173 (8) के तहत अग्रेतर विवेचना की मांग की गयी है, जिसके विरूद्ध अभी तक आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है-मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया-निजी प्रतिवादी ने विशेष आपराधिक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-सह-अभियुक्तों में से एक अपीलकर्ता, जिसके विरूद्ध पहले से ही आरोप-पत्र दाखिल था और जिसके खिलाफ विचारण चल रहा था और हालांकि धारा-173 (8) के तहत आवेदन में उसके विरूद्ध कोई राहत नहीं मांगी गयी थी-उक्त विशेष आपराधिक आवेदन में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया-उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया-अपील पर, अवधारित हुआः अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को जो अपीलकर्ता द्वारा इस आशय से दाखिल किया गया था कि उसे प्रतिवादी द्वारा दाखिल उस विशेष आपराधिक आवेदन में पक्षकार बनाया जाये, जिसे निजी प्रतिवादी द्वारा मजिस्टे[a]ट के उस आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था, जिसमें मजिस्टे[a]ट ने धारा-173(8) के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र को जो एक अन्य अभियुक्त के सम्बन्ध में था, जिसके विरूद्ध आरोप-पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया था, निरस्त कर दिया था को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी-जब प्रस्तावित अभियुक्त जिसके खिलाफ अग्रेतर विवेचना की मांग की गई थी, उसे उस स्तर पर सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो अपीलकर्ता/सह-अभियुक्तों में से एक, जिसके खिलाफ आरोप-पत्र पहले से ही दायर है और जिनके खिलाफ विचारण चल रहा है और जिसके खिलाफ अग्रेतर विवेचना की कोई राहत नहीं मांगी गई थी कि सुनवाई का कोई प्रश्न नहीं है-धारा-173 (8) के तहत आवेदन से उत्पन्न कार्यवाही को- आपराधिक मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील या आवेदन के समतुल्य नहीं किया जा सकता है-गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम-51 का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नही है।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अवधारित कियाः यह बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है कि अपीलकतार्, जिसके खिलाफ अग्रेतर अन्वेषण के लिए कोई राहत नहीं मांगी गई है और/या जिसके विरूद्ध धारा-173(8) के अन्तर्गत अग्रेतर

अनवेषण के प्रार्थना-पत्र में कोई कथन नहीं है, कैसे वह सुने जाने का अधिकार रखता है। कैसे उसे एक आवश्यक और एक उचित पार्टी कहा जा सकता है। यह वर्णित करना आवश्यक है कि स्वयं प्रस्तावित आरोपी श्री भौमिक को भी अग्रतर विवेचना के लिए धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन में इस स्तर पर सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि प्रस्तावित अभियुक्त जिनके खिलाफ अग्रेतर विवेचना की मांग की जाती है, उन्हें इस स्तर पर सुने जाने की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलार्थी जो कि सह-अभियुक्तों में से एक है, जिसके खिलाफ चार्जशीट पहले से ही दायर है और जिसके खिलाफ विचारण चल रहा है और जिसके खिलाफ आगे की जांच से कोई राहत नहीं मांगी गई है, सुनने का कोई सवाल ही नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उसे विशेष आपराधिक आवेदन में एक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने में पूरी तरह से उचित था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम-51 का धारा-173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को आपराधिक मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील या आवेदन, जैसा कि नियम-51 में वर्णित है, के सम्तुल्य नहीं किया जा सकता है।
{पारस 7,8} {1113-ए-बी} एफ-एच; 1114-ए}

विश्वास किया गया-
भारत संघ बनाम डब्ल्यू एन चड्ढा (1993) 4 एस0यू0पी0पी0-एससीसी 260
1992, 3 एस0यू0पी0पी0एल एससीआर 594; दीनूभाई बाघभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य (2014) 4 एससीसी 626 {2014, 3 एससीआर 932;
नरेंद्र जी गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 65
2009, 8 एससीआर 1004;
श्री भगवान समरधा बनाम आंध्रप्रदेश राज्य। (1999) 5 एससीसी 740, (1999) 3 एससीआर 870-
सन्दर्भित किया गया-
अतुल राव बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 14 एससीसी 298;
अमृतभाई शंभुभाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल (2017) 4 एससीसी 177, (2017), 4 एससीआर 105-
निर्णयज विधि सन्दर्भ-
(2018) 14 एससीसी 298 को पैरा 3.2, (2017) 4 एससीआर 105 को पैरा 3.3, 1992, 3 एस0यू0पी0पी0एल0 एससीआर 594 का पैरा 4.2, (2014) 3 एससीआर 932 पैरा 7, (2009), 8 एससीआर 1004 पैरा 7, (1999), 3 एससीआर 870 पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील

संख्या-353/2020
आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र संख्या-1/2018 अन्तर्गत विशेष आपराधिक प्रार्थना-पत्र संख्या-8704/2018 मंे गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा दिये गये निर्णय व आदेश दिनांकित-24.12.2018 से।

श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्तागण श्री डीएन रे, श्री पार्थिव शाह, श्री लोकेश कुमार चौधरी, श्री दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा रे, श्रीमती सुमिता रे, अपीलार्थी के लिए।

अनिरुद्ध पी। मेई, एवं अधिवक्ता राजाराजन, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

द्वारा न्यायमूर्ति एमआर शाह,

1-गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 1/2018 अन्तर्गत विशेष आपराधिक आवेदन संख्या में 8704/ 2018, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा किए गए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने प्रतिवादी संख्या-4 के साथ उक्त विशेष आपराधिक आवेदन संख्या-8704/2018 में उसको शामिल किये जाने की प्रार्थना की गयी थी, जो निजी प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें
अन्य व्यक्तियों के खिलाफ (अपीलकर्ता के अलावा जो अभियुक्तों में से एक है और पहले से ही जिसके विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल है), अग्रेतर विवेचना की मांग की गयी थी, से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील की है।

2-संक्षेप में वर्तमान अपील के अग्रणी तथ्य निम्नानुसार हैंः-26.01.2001 को एक भूकंप में, अहमदाबाद के ग्राम वेजलपुर में स्थित शिखर अपार्टमेंट नाम की इमारत सहित कई इमारतें ढह गईं। उक्त शिखर अपार्टमेंट के ढहने से 98 लोगों की मौत हो गई। निजी प्रतिवादी/पीड़ित ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सीआर नं0 आई0-58/2001 धारा 304,418,420, 114 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3 (2) (सी) और (डी), धारा-7 (1)(प) जी0(प)-2 एवं धारा-42 गुजरात फ्लैटों के स्वामित्व और जीडीसीआर, बिल्डिंग बाय-कानूनों के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता व अन्य के खिलाफ सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी। पुलिस इंस्पेक्टर, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन ने उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ 02.05.2001 को आरोप-पत्र दायर किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमेंबाजी के कई दौर के बाद, अपीलकर्ता और कुछ अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दिया गया। हालांकि, तीन आरोपी व्यक्ति, अर्थात यज्ञेश व्यास, संजय शाह और रोनक शाह के विरूद्ध

आरोप-पत्र नहीं भेजा गया। यह मामला को आपराधिक अपील संख्या-1426/2017 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त अपील की सुनवाई के दौरान, विवेचना में प्रगति हुई थी और आरोपी यज्ञेश व्यास और संजय शाह के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसलिए, पूर्वोक्त आपराधिक अपील संख्या-1426/2017 को दिनांक-16.07.2018 को, निस्तारित करते समय इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि यदि निजी प्रतिवादी/पीड़ित को एक अन्य आरोपी को छोड़ने के खिलाफ कोई आपत्ति है, तो वह आपत्ति दर्ज कर सकता है और विचारण न्यायालय में विरोध याचिका दायर कर सकता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा था कि निजी प्रतिवादी/पीड़ित श्री एमएन भौमिक के खिलाफ उसे अभियोजित नहीं करने के लिए एक उपयुक्त अदालत में कार्यवाही कर सकता है। इसके बाद, निजी प्रतिवादी/पीड़ित ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद (ग्रामीण) के समक्ष धारा 173 (8) और 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन श्री भौमिक के खिलाफ अग्रेतर विवेचना हेतु दाखिल किया। दिनांक 29.08.2018 के आदेश से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद (ग्रामीण) ने उक्त आवेदन को मेरिट के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोप-पत्र दायर होने के बाद, मजिस्ट्रेट के पास धारा-173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अग्रेतर विवेचना के लिए आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

2.1-विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित-29.08.2018 से क्षुब्ध और असंतुष्ट महसूस करते हुए जो कि आपराधिक वाद संख्या-853/2001 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रदर्श-275 (सी) में पारित हुआ था, निजी प्रतिवादी ने विशेष आपराधिक आवेदन संख्या-8704/2018 को उच्च न्यायालय गुजरात के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त विशेष आपराधिक आवेदन में, अपीलार्थी, जो कि अभियुक्तो में से एक है एवं पहले से ही जिसके विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित है, ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने उक्त विशेष आपराधिक आवेदन में प्रतिवादी संख्या-4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने की याचना की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश व निर्णय के द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए, वर्तमान अपील की गयी।

3-श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं; निजी प्रतिवादी यहां एक पक्षकार के रूप में स्वयं उपस्थित हुआ और श्री अनिरुद्ध पी0 मेई, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

3.1-श्री मनिंदर सिंह, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रबलता से यह कथन किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/सह-अभियुक्त को पीड़ित द्वारा दाखिल रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल करने से इनकार करके गंभीर त्रुटि की है।

3.2- यह श्री मनिंदर सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता द्वारा आगे यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का ठीक से मूल्यांकन और विचार नहीं

किया है कि, जैसा कि अथुल राव बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 14 एससीसी 298 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो शिकायतकर्ता नहीं है अग्रेतर विवेचना हेतु निर्देश की याचना पोषणीय नहीं है।

3.3-अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अमृतभाई शंभुभाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल (2017) 4 एससीसी 177 के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले से ही अवधारित किया गया है कि शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है कि वह आरोप-पत्र तैयार होने के बाद धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर करें। यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र पहले से ही दाखिल है और शिकायतकर्ता के साक्ष्य दर्ज किए गए हैं और इसलिये विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रेतर विवेचना के आवेदन को खारिज करने का आदेश उचित है। यह कथन भी किया गया है कि कि यदि अपीलकर्ता को विशेष आपराधिक आवेदन में पार्टी प्रतिवादी के रूप में प्रत्यारोपित करने की अनुमति देकर अपीलकर्ता को अवसर दिया गया होता, तो अपीलकर्ता उपरोक्त पहलुओं को इंगित कर सकता था और मामले के गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत कर सकता था।

3.4- यह कथन भी किया गया है कि, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में आरोपों को देखते हुए, क्योंकि निजी प्रतिवादी ने जांच एजेंसी के खिलाफ आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच ठीक से नहीं की जाती है, अपीलकर्ता/अभियुक्त एक आवश्यक और उचित पक्ष है और उसकी अनुपस्थिति में, विवाद के विषय-वस्तु का प्रभावी निर्णय नहीं हो सकता है।

3.5-धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त अनवेषण के लिए निजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के गुण के आधार पर अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रस्तुतियाँ की गई हैं। हालाँकि, यहां बताए गए कारणों के लिए, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ मुख्य विशेष आपराधिक आवेदन के रूप में, निजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है, हम धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रेतर अन्वेषण/विवेचना के लिए निजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के गुणावगुण में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

3.6- श्री मनिंदर सिंह, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने द्वारा दिये गये तर्को के समर्थन में गुजरात उच्च न्यायालय के नियम, 1993 के नियम 51 पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि नियम 51 के अनुसार उस कार्यवाही के सभी पक्षकार जिससे वह अपील या आवेदन उत्पन्न हुआ है, उस अपील या आवेदन में पक्षकार बनाये जाएगें। यह कथन किया गया है कि अपीलकर्ता आपराधिक

मामला संख्या-853/2001 में भी एक पक्षकार था। अतः अपीलकर्ता को विशेष आपराधिक आवेदन में निजी प्रतिवादी द्वारा पक्षकार बनाया जाना चाहिये था।

4-वर्तमान अपील का विरोध निजी प्रतिवादी एवं श्री मेई, जो गुजरात राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता हैं, ने भी किया है,।

4.1-यह प्रबलता से प्रस्तुत किया गया है कि एक अन्य आरोपी श्री भौमिक के संबंध में अग्रेतर विवेचना के लिए धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आवेदन में अपीलकर्ता के पास कोई लोकस नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता के विरूद्ध पहले से ही आरोप-पत्र प्रेषित है और उसके खिलाफ विचारण चल रहा है। यह कथन किया गया है कि विशेष आपराधिक आवेदन में निजी प्रतिवादी ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है जिसमें धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया, जो मूल रूप से एक अन्य आरोपी श्री भौमिक के संबंध में था क्योंकि उन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया गया था, अपीलकर्ता को यहां एक आवश्यक और/या उचित पक्षकार नहीं कहा जा सकता है, यह कथन भी किया गया है कि अपीलकर्ता को प्रभावित पक्ष भी नहीं कहा जा सकता है भले ही विशेष आपराधिक आवेदन की अनुमति हो और श्री भौमिक के खिलाफ धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रेतर विवेचना के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाये।

4.2-आगे यह कथन किया गया है कि प्रस्तावित अभियुक्त होने के नाते भी श्री भौमिक के पास धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रेतर विवेचना के लिए इस स्तर पर कोई लोकस या सुनवाई का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त के समर्थन में, दीनूभाई बाघभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य (2014) 4 एससीसी 626 में इस न्यायालय के निर्णय नरेंद्र जी गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 65 और भारत संघ बनाम डब्ल्यू0 एन चड्ढा 1993 एस0यू0पी0एल0 (4) एससीसी 260 पर विश्वास किया गया है। यह कथन किया गया है कि जब प्रस्तावित अभियुक्त के पास इस स्तर पर कोई लोकस नहीं है और/या सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता, जिसके विरूद्ध पहले से ही आरोपपत्र दाखिल है और जिसके खिलाफ विचारण चल रहा है और जिसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गयी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निजी प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका में एक पक्ष/प्रतिवादी के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया है।

5-श्री मेई, गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी वर्तमान अपील और साथ ही अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का विरोध किया है और सख्ती से कथन किया है कि अपीलकर्ता सह-अभियुक्तों में से एक है जिसके विरूद्ध पहले से ही आरोपपत्र प्रेषित है और जिसके खिलाफ विचारण चल रहा है। उनके पास निजी प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका में कोई लोकस नहीं है और/या

सुनवाई का अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलकर्ता को प्रभावित पक्ष को भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि धारा- 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत करते समय अपीलकर्ता के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गयी है और एक अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् श्री भौमिक के विरूद्ध राहत मांगी गयी, जिसके विरूद्ध अभी तक आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

6-सम्बन्धित पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना गया।

6.1-शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान कार्यवाही निजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से उत्पन्न हुई, जिसमें एक श्री भौमिक के खिलाफ धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अग्रेतर विवेचना की मांग की गयी है, जो अभी तक आरोपपत्रित नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ निजी प्रतिवादी ने विशेष आपराधिक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उक्त याचिका में अपीलार्थी/सह-अभियुक्तों में से एक जो पहले से ही आरोप-पत्रित हैं और जिनके खिलाफ विचारण चल रहा है और हालांकि धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन में उनके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है, उन्हें उक्त विशेष आपराधिक आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया और उक्त आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता/सह-अभियुक्तों में से एक जिनके खिलाफ पहले से ही आरोप-पत्र दायर किया गया है और जिनके खिलाफ विचारण चल रहा है, को धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही में जो कि एक अन्य अभियुक्त श्री भौमिक, जिनके खिलाफ आज तक कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, के विरूद्ध है, सुनवाई का अधिकार और/या कोई लोकस होना आवश्यक है ?

7-सम्बन्धित पक्षों और निजी प्रतिवादी की ओर से पेश किए गए विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यहां निजी प्रतिवादी द्वारा दायर धारा-173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रेतर विवेचना के लिए उनके आवेदन को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्टे[a]ट द्वारा खारिज कर दिया, जो कि एक अन्य आरोपी श्री भौमिक के सम्बन्ध में था। जिसके खिलाफ आज तक कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। इसलिए, यह बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है कि अपीलकर्ता जिसके खिलाफ अग्रेतर विवेचना के लिए कोई राहत नहीं मांगी गई है, कैसे उसे एक आवश्यक और एक उचित पक्षकार कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यहाँ तक कि , प्रस्तावित अभियुक्त श्री भौमिक का भी सुने जाने का कोई अधिकार अग्रेतरए विवेचना के लिए धारा- 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन के इस चरण में नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूएन चड्ढा (उपरोक्त); नरेंद्र जी गोयल (उपरोक्त) और दीनूभाई

बाघभाई सोलंकी (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है। दीनूभाई बाघभाई सोलंकी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के श्री भगवान समरधा वाई बनाम आन्धप्रदेश राज्य राज्य। (1999) 5 एससीसी 740,के मामले में दिये गये एक अन्य निर्णय पर विचार करने के बाद यह पर्यवेक्षित और अवधारित किया गया है कि धारा-173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अग्रेतर अन्वेषण के लिये किसी भी निर्देश को देने से पहले अदालत अभियुक्त को सुनने के लिए बाध्य है। श्री भगवान समरधा (उपरोक्त) में, पैरा-11 में इस न्यायालय ने अवधारित किया हैः ''11-ऐसी स्थिति में न्यायालय की पुलिस को अग्रेतर विवेचना करने का निर्देश देने की शक्ति पर कोई अवरोध नहीं है। धारा 173 (8) में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अदालत ऐसा कोई निर्देश दिए जाने से पहले आरोपी को सुनने के लिए बाध्य है। अदालत पर इस तरह के किसी भी दायित्व को डालने का परिणाम यह होगा कि सुनवाई के अवसर के साथ संभावित अभियुक्तों को तलाश करने के बोझ का वहन किया जाना। जैसा कि कानून में इसकी आवश्यकता नहीं है, इस तरह के दायित्व का बोझ मजिस्ट्रेट पर नहीं डालेगें। इसलिए, जब प्रस्तावित अभियुक्त जिनके खिलाफ आगे की जांच की मांग की गयी है। अर्थात् श्री भौमिक को इस स्तर पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलकर्ता/-सह-अभियुक्तों में से एक, जिसके खिलाफ आरोप-पत्र पहले से ही दायर है और जिसके खिलाफ विचारण चल रहा है और उसके खिलाफ अग्रेतर अन्वेषण की कोई राहत नहीं मांगी गई है कि सुनवाई का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा उसे विशेष आपराधिक आवेदन में प्रतिवादी/एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय बिल्कुल न्यायसंगत है।

8-जहां तक अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 51 पर विश्वास व्यक्त करने का तर्क है, हमारा विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नियम 51 नहीं होगा धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच के लिए कोई आवेदन पर लागू नहीं होगा।

धारा-173 (8) के तहत एक आवेदन को आपराधिक मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील या आवेदन के सम्तुल्य नहीं किया जा सकता है जैसा कि नियम 51 में कहा गया है। इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 51 में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

9. उपरोक्त और यहां बताए गए कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील में कोई तत्व नहीं है और यह खारिज करने के योग्य है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।